भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 488

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

सीवर साफ करने वाले व्यक्तियों तथा हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के बीच में अंतर करना

488. डॉ. शशि थरूर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार किस आधार पर हाथ से मैला उठाने वालों और सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई करने वालों के बीच अंतर करती है;

(ख) क्या सरकार को सभी जिलों से यह पुष्टि करने वाली रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वे हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से मुक्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास सेप्टिक टैंक और सीवर के मशीनीकरण के संबंध में कोई ब्यौरा है क्योंकि बजट 2023-24 में दावा किया गया था कि 100 प्रतिशत मशीनीकरण होगा; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): मैनुअल स्केवेंजरों तथा सीवरों एवं सेप्टिक टैंको की परिसंकटमय सफाई में लगे लोगों के मध्य अंतर को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल–मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

"किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य से अभिप्रेत है;

(ख) और (ग): दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार देश के 766 जिलों में से 729 जिलों ने स्वयं को मैनुअल स्केवेंजिंग से मुक्त घोषित किया है।

(घ) और (ड़): स्वच्छ भारत मिशन के तत्वावधान में 01 अक्तूबर, 2021 को आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत सीवर एवं सेप्टिक टैंक में परिसंकटमय प्रवेश के उन्मूलन तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के स्थायी उन्मूलन के उद्देश्यों के साथ एक नया घटक, प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल किया गया है। यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत,सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यों के प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मेनहोल को मशीनहोल से परिवर्तित करने के लिए मशीनी/डीस्लजिंग/सफाई उपकरण की खरीद, सफाईमित्रों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा सार्वजनिक जागरूकता के लिए एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जोखिमपूर्ण मानवीय प्रवेश की आवश्यकता को न्यूनतम करने तथा सफाईमित्रों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के मशीनीकरण में न्यूनतम मानकों को दर्शाने के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया गया था।

*****